



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092022-238998
CG-DL-E-22092022-238998

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4243]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2022/भाद्र 31, 1944

No. 4243]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022/BHADRA 31, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

का.आ. 4427(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (xi) के उपखंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित पदार्थ, साल्ट और इससे बनी सामग्री को निर्मित औषधि घोषित करती है, अर्थात:-

(i) आइसोटोनिटाज़ेन - एन,एन-डायथाइल-2-(2-(4-आइसोप्रोपोक्सीबेंज़िल)-5-नाइट्रो-1एच-बेंज़ो[डी]इमिडाज़ोल-1-वाईएल)एथन-1-एमाइन

[फा. सं. एन-12012/01/2021-एनसी-II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September 2022

S.O. 4427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares the following substance, salt and preparations thereof to be manufactured drugs, namely: -

- (i) Isotonitazene - N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine

[F. No. N-12012/01/2021-NC-II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 सितम्बर, 2022

का.आ. 4428(अ).— जबकि केंद्र सरकार, जानकारी और प्रमाणों, जो इसके लिए उपलब्ध हो गया है, प्रकृति और प्रभाव के संबंध में और निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या सिंथेटिक) या प्राकृतिक सामग्री या किसी भी साल्ट या इसके दुरुपयोग की गुंजाइश के आधार पर ऐसे पदार्थों या सामग्रियों की तैयारी, और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन और मनः प्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन 1971 में शामिल किए गए बदलाव, कि निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या साल्ट्स को जोड़ना आवश्यक है या ऐसी तैयारी मादक पदार्थों की सूची में पदार्थ या ऐसी सामग्री के आधार पर संतुष्ट है जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 के 61) (एतश्मिनपश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में यथा संदर्भित) की अनुसूची में निर्दिष्ट है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, क्रम सं. 110ZT, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम.संख्याओं और प्रविष्टियों के अंतः स्थापित किया गया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रासायनिक नाम
"110ZU		कुमिल-पेगैलोने	5-पेंटाइल-2-(2-फेनिलप्रोपेन-2-वाईएल)-2,5-डायहाइड्रो-1हाइपिरिडो [4,3-बी]इंडोल-1-ओन
110ZV		एमडीएमबी-4इन-पिनाका	मिथाइल 3,3-डाइमिथाइल-2-(1-(पेंट-4-इन-1-वाईएल)-1हिंडाज़ोल-3-कार्बोक्सामिडो)ब्यूटानोएट
110ZW		3-मेथॉक्सीफेनसाइक्लिडीन	1-(1-(3-मेथोक्सीफेनिल)साइक्लोहेक्सिल)पाइपरिडीन
110ZX		डाइफेनिडाइन	1-(1,2-डाइफेनिलथाइल)पाइपरिडीन
110ZY		क्लोनाज़ोलम	6-(2-क्लोरोफेनिल)-1-मिथाइल-8-नाइट्रो-4हबेंजो[एफ][1,2,4]ट्रायज़ोलो[4,3-ए][1,4]डायजेपाइन
110ZZ		डाइक्लेज़ेपम	7-क्लोरो-5-(2-क्लोरोफेनिल)-1-मिथाइल-1,3-डायहाइड्रो-2हबेंजो[ई] [1,4]डायजेपिन-2-ओन
110ZZA		फ्लुब्रोमाज़ोलम	8-ब्रोमो-6-(2-फ्लोरोफेनाइल)-1-मिथाइल-4हबेंजो[एफ][1,2,4]ट्रायज़ोलो[4,3-ए][1,4]डायजेपाइन"

[फा. सं. एन-12012/01/2021-एनसी-II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

टिप्पणी: नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची में का.आ. 785(अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के तहत पहली बार संशोधन किया गया था और इसमें बाद में संशोधन का.आ. 49(अ), दिनांक 8

जनवरी, 1993, का.आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, का.आ. 475(अ), दिनांक 11 जून, 2003, सा.का.नि. 621(अ), दिनांक 1 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 1(ई), दिनांक 2 जनवरी, 2004, का.आ. 311 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 2011, का.आ. , 2016, का.आ. क्रमांक 1383 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का.आ. 821(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का.आ. 1761(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018 और का.आ. 3448(अ) दिनांक 13 जुलाई, 2018, का.आ. 1352(अ), दिनांक 13 मार्च 2019 और का.आ. 1275(अ), दिनांक 23 मार्च 2021 के अंतर्गत किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2022

S.O. 4428(E).—Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of and the scope for abuse of the following substances (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances 1971, that it is necessary to add the following substances or natural materials or salts or preparation of such substances or materials in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act, namely: -

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110ZT and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

SI. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
“110ZU		CUMYL-PEGACLONE	5-Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one
110ZV		MDMB-4en-PINACA	Methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazole-3-carboxamido)butanoate
110ZW		3-Methoxyphencyclidine	1-(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine
110ZX		Diphenidine	1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine
110ZY		Clonazolam	6-(2-Chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
110ZZ		Diclazepam	7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2Hbenzo[e][1,4]diazepin-2-one
110ZZA		Flubromazolam	8-Bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine”

[F. No. N-12012/01/2021-NC-II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended *vide* number S.O. 785(E), dated the 26th October, 1992 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S. O. 311 (E), dated the 10th February, 2011, S. O. 376 (E), dated the 5th February, 2015, S. O. No. 2374 (E), dated the 12th July, 2016, S.O. No. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 821(E), dated the 27th February, 2018, S.O. 1761(E), dated the 26th April, 2018 and S.O. 3448(E) dated the 13th July, 2018, S.O. 1352(E), dated the 13th March 2019 and S.O. 1275(E), dated the 23rd March 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 सितम्बर, 2022

का.आ. 4429(अ).—केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (vii) और (xxiii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा संख्या का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001, के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 238ZZ-O और इससे संबंध प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों का समावेशन किया जाएगा, अर्थात:-

क्र. सं.	स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों (अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन)) के नाम	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रासायनिक नाम	अल्प मात्रा (ग्रा में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्रा/किग्रा में)
1	2	3	4	5	6
"238ZZP	आइसोटोनिटाज़ेन		एन, एन-डाइइथाइल-2- (2- (4-आइसोप्रोपोक्सीबेंज़िल) -5-नाइट्रो -1 एच-बेंजो [डी] इमिडाज़ोल-1-वाईएल) एथन-1-एमाइन	0.01 ग्राम	0.5 ग्राम;
238 ZZQ		कुमिल-पेगैलोने	5-पेंटाइल-2- (2-फेनिलप्रोपेन-2-वाईएल)-2,5-डायहाइड्रो-1हाइपिरिडो [4,3-बी]इंडोल-1-ओन	0.2 ग्राम	10.0 ग्राम;
238 ZZR		एमडीएमबी-4इन-पिनाका	मिथाइल 3,3-डाइमिथाइल-2-(1-(पेंट-4-इन-1-वाईएल)-1हिंडाज़ोल-3-कार्बोक्सामिडो)ब्यूटानोएट	0.002 ग्राम	0.1 ग्राम;
238 ZZS		3-मेथॉक्सीफेनसाइक्लिडीन	1-(1-(3-मेथोक्सीफेनिल) साइक्लोहेक्सिल)पाइपरिडीन	0.1 ग्राम	5.0 ग्राम;
238ZZT		डाइफेनिडाइन	1-(1,2-डाइफेनिलथाइल)पाइपरिडीन	2.0 ग्राम	100 ग्राम;
238 ZZU		क्लोनाज़ोलम	6-(2-क्लोरोफेनिल)-1-मिथाइल-8-नाइट्रो-4हबेंजो[एफ][1,2,4]ट्रायज़ोलो[4,3-ए][1,4]डायजेपाइन	0.02 ग्राम	1.0 ग्राम;
238 ZZV		डाइक्लेज़ेपम	7-क्लोरो-5-(2-क्लोरोफेनिल)-1-मिथाइल-1,3-डायहाइड्रो-2हबेंजो[ई] [1,4]डायजेपिन-2-ओन	0.2 ग्राम	10.0 ग्राम;
238 ZZW		फ्लुब्रोमाज़ोलम	8-ब्रोमो-6-(2-फ्लोरोफेनाइल)-1-	0.035	1.75

			मिथाइल- 4हबेंजो[एफ][1,2,4]ट्रायज़ोलो[4,3- ए][1,4]डायजेपाइन"	ग्राम	ग्राम;
--	--	--	---	-------	--------

[फा. सं. एन-12012/01/2021-एनसी-II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

टिप्पणी:, मुख्या अधिसूचना संख्या का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 के तहत, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् संख्या का.आ. 2941 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2009, का.आ. 1430 (अ), दिनांक 21 जून, 2011, का.आ. 375 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, का.आ. 2375(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016, का.आ. 384 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का.आ. 822(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का.आ. 1762(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018, का.आ. 1351(अ), दिनांक 13 मार्च 2019 और का.आ. 1276(अ), दिनांक 23 मार्च 2021 के तहत संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2022

S.O. 4429(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (viiia) and (xxiiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely: -

In the said notification, in the Table, after serial number 238 ZZ-O and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

S. No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary name (INN))	Other non-proprietary name	Chemical Name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./kg.)
1	2	3	4	5	6
“238ZZP	Isotonitazene		N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine	0.01 gm	0.5 gm
238 ZZQ		CUMYL-PEGACLONE	5-Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one	0.2gm	10.0gm
238 ZZR		MDMB-4en-PINACA	Methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazole-3-carboxamido)butanoate	0.002gm	0.1gm
238 ZZS		3-Methoxyphenylcyclidine	1-(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine	0.1gm	5.0gm

238ZZT		Diphenidine	1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine	2.0gm	100gm
238 ZZU		Clonazolam	6-(2-Chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine	0.02gm	1.0gm
238 ZZV		Diclazepam	7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2Hbenzo[e][1,4]diazepin2-one	0.2gm	10.0gm
238 ZZW		Flubromazolam	8-Bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine”	0.035gm	1.75gm

[F. No. N-12012/01/2021-NC-II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 2941 (E), dated the 18th November, 2009, S.O. 1430 (E), dated the 21st June, 2011, S.O. 375 (E) dated the 5th February, 2015, S. O. 2375(E), dated the 12th July, 2016, S.O. 384 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 822(E), dated the 27th February, 2018, S.O. 1762(E), dated the 26th April, 2018, S.O. 1351(E), dated the 13th March 2019 and S.O. 1276(E), dated the 23rd March 2021.